

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-III/2017/427

दिनांक: 28-7-17

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे ब्रेण्ड	ग्रेड पे
1	श्री अर्जुन लाल सेनी, रेडियोग्राफर राज. अजीत अस्पताल खेतड़ी झुंझुनूं	17.2.99	18 वर्ष	17.2.2017	9300-34800	4200
2.	श्री अशोक कुमार, रेडियोग्राफर सा.स्वा.केन्द्र बहरोड, अलवर।	15.2.99	18 वर्ष	15.2.2017	9300-34800	4200
3.	श्री रविराज शर्मा, सहायक रेडियोग्राफर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह चिकि.जयपुर	15.2.99	18 वर्ष	15.2.2017	9300-34800	4200

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-III/2017/427

दिनांक: 28-7-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं व अलवर।
- 2 अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह चिकित्सालय जयपुर।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजीत अस्पताल खेतड़ी, झुंझुनूं।
- 4 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड, अलवर।
- 5 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय कृपया आदेश को संबंधित अधिकारी की ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 7 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर